

**मांग संख्या 19**  
**मुख्य शीर्ष 2210**

**मद क्रमांक 1 से 7**

राज्य शासन के निर्णय अनुसार ग्राम-दुबरेचा जिला- दुर्ग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु पदों के सृजन, भोजन एवं औषधि, बिजली पानी/स्टेशनरी एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु आवर्ती व्यय रूपये 13.58 लाख तथा अनावर्ती व्यय रूपये 5.00 लाख कुल राशि रूपये 18.58 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

<u>क्रमांक</u>	<u>पदनाम</u>	<u>पदसंख्या</u>	<u>वेतनमान</u>
1.	चिकित्सा अधिकारी	02	8000-13500
2.	फार्मासिस्ट ग्रेड-2	01	3050-4590
3.	लेब टेक्नीशियन	01	4000-6000
4.	ड्रेसर	01	3050-4590
5.	नेत्र सहायक	01	4000-6000
6.	एम.पी.डब्ल्यू. महिला	01	3050-4590
7.	स्वीपर	01	2550-3200
8.	आया	01	2550-3200
9.	भृत्य/वार्ड ब्वाय	01	2550-3200

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 18,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

राज्य शासन के निर्णय अनुसार रेडकास सोसायटी के लिये शव वाहन क्रय हेतु रूपये 2.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9 से 13**

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अंतर्गत यात्रा व्यय एवं कार्यालय व्यय हेतु रूपये 6.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2211**

**मद क्रमांक 14**

राज्य शासन के निर्णय अनुसार डेनिडा परियोजना हेतु रूपये 17.03 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 17,03,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

राज्य शासन के निर्णय अनुसार जिला धमतरी में ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टर निर्माण कार्य हेतु रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16 से 19**

ग्राम बिरकोनी जिला बिलासपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु पदों के सृजन एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु आवर्ती व्यय रूपये 1.55 लाख तथा अनावर्ती व्यय रूपये 0.10 लाख कुल रूपये 1.65 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

<u>क्रमांक</u>	<u>पदनाम</u>	<u>पदसंख्या</u>	<u>वेतनमान</u>
1.	ए.एन.एम./एम.पी.डब्ल्यू.	1	3050-4590
2.	एम.पी.डब्ल्यू.	1	3050-4590

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,65,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।